उत्तर प्रदेश खाद्य निरीक्षक संवर्ग संघ

(उ० प्र० शासन के पत्रांक - 3656/16-10-90/118/88 दिनांक 11-09-90 द्वारा मान्यता प्राप्त)

नन्द लाल
महामंत्री
Mob:-9415843372

अमित प्रकाश वर्मा
अध्यक्ष
कार्यालय :
B_2 M/36 Sector B
Jankipuram Lucknow
Mob :- 9935832878

पत्रांक सेप-10/2009 दिनांक 19/03/2009

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उ0प्र0 शासन
लखनऊ।

विषय : **नवगठित खाद्य एवं औषधि प्रशासन में खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तकनीकी एवं अनुभवी कार्मिकों को नियुक्ति करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण पर प्रभावी नियंत्रण की मूल भावना के अन्तर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन का गठन किया गया है। इसी क्रम में नवगठित एफ0डी0ए0 में जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी के स्थान पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी घोषित किया गया है। शासन द्वारा लिया गया यह निर्णय एल0एच0ए0 पद पर परिवर्तन की आवश्यकता की ओर इंगित करता है। वस्तुतः खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है एवं पी0एफ0ए0 एक्ट में स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में यह भी सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में पी0एफ0ए0 एक्ट के अन्तर्गत सम्बन्धित वादों पर सहमति प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य भी स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को ही करना होता है।

पी0एफ0ए0 एक्ट की धारा-20 (1) के अन्तर्गत एक्ट से सम्बन्धित कोई भी वाद बिना पूर्व स्वीकृति के के न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है।

स्वीकृति एवं सहमति के विषय में मा0 न्यायालय की संलग्न निम्नलिखित रूलिंग से स्पष्ट होता है कि यह कार्य अत्यन्त गम्भीर है जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है एवं विशेषज्ञता के अभाव में होने वाली त्रुटि में वाद से सम्बन्धित अभियुक्त को लाभ मिलता है वह आरोपमुक्त हो सकता है:-

1. अंगद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य
2. सुभाष चन्द्र गुप्ता बनाम दिल्ली राज्य
3. अब्दुल हलीम बनाम उ0प्र0 राज्य
4. स्टेट ऑफ यूं0पी0 बनाम बेचे सिंह
5. शीतला प्रसाद एवं एलियास माता प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य
6. माया प्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्य

इसके अतिरिक्त पी0एफ0ए0 एक्ट के अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को इसी एक्ट की धारा-13 (2) का अनुपालन करना होता है जिसके अनुसार सम्बन्धित अभियुक्त को उसके विरूद्ध वाद दायर करने की एवं नमूने की पुनः जांच के अभियुक्त के अधिकार का प्रयोग करने हेतु 10 दिन के अन्दर सूचना देनी होती है। परन्तु यह नियमानुसार न होने पर वाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को वाद दायर करने की सहमति को न्यायालय में सिद्ध करने हेतु गवाही भी देनी होती है परन्तु सामान्यता यह कार्य खाद्य निरीक्षक द्वारा स्वयं ही द्वितीयक गवाही के रूप में उनके स्थान पर करना पड़ता है क्योंकि स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के पास कार्याधिक्य के कारण समयाभाव होता है।

स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी खाद्य निरीक्षक का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। अतः आवश्यक है कि स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को खाद्य निरीक्षक के कार्य का आधारभूत ज्ञान व अनुभव हो जैसा कि आबकारी विभाग व श्रम विभाग में नियंत्रण अधिकारी मूल संवर्ग से प्रोन्नत होते है।

नवगठित एफ0डी0ए0 में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थानयी स्वास्थ्य प्राधिकारी घोषित किया गया है जो खाद्य निरीक्षकों के मूल संवर्ग से न होकर चिकित्सीय संवर्गों से होते है एवं उनके प्रोन्नति उनके मूल संवर्ग के अनुसार ही

होती है एवं भविष्य में भी होगी। अतः वह पूर्णकालिक एल0एच0ए0 नहीं होंगे एवं यह व्यवस्था एक विशेष प्रकार की डेपुटेशन व्यवस्था कही जा सकती है।

देश के दो राज्यों आँन्ध्र प्रदेश व संघ शासित राज्य अंडमान निकाबोर में एल0एच0ए0 से सम्बन्धित शक्तियाँ व कार्य खाद्य निरीक्षक संवर्ग से प्रोन्नत हुए अधिकारियों में ही निहित होती है।

अतः संघ का विनम्र अनुरोध है कि एल0एच0ए0 पद पर प्रशिक्षित, अनुभवी एवं तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित मुख्य खाद्य निरीक्षक को प्रोन्नत करते हुए एल0एच0ए0 पद पर अधिसूचित करने की कृपा करें। इससे कार्य की गुणवत्ता में धनात्मक प्रभाव पड़ेगा एवं सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

भवदीय

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(नन्द लाल)
महामंत्री